

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा कार्यसूची

अष्टम् सत्र

बुधवार, 11 मार्च, 2015/20 फाल्गुन, 1936(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण ।

12.30 बजे (अपराह्न)

1. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

2. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1);
2. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2);
3. हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 3);
4. हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 4);
5. हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 5);
6. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 6);

7. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 7);
8. अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 8);
9. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 9); और
10. हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 10) ।

3. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2014-2015  
का प्रस्तुतीकरण:-

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अन्तिम किस्त को प्रस्तुत करेंगे।

शिमला-171 004  
दिनांक: 10 मार्च, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)